(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

हनुमानदास बनाम पेमाराम वगैरह

किस्म मुकदमाः– 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्याः–236/2024 (GCMS No. 2024/549)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम तहसील सूरतगढ़ की रोही बछरारा के खाता संख्या 240/201 के खसरा संख्या 144 में 5.210 हैक्टर, 146 में 1.404 हैक्टर कुल 6.614 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थी का आवंटन से आज तक कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इसी रोही के खसरा संख्या 142 में 8.751 हैक्टर, 158 में 10.332 हैक्टर कुल 19.083 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी वृद्ध एवं साक्षर काश्तकार है। प्रार्थी जैरवाद भूमि पर आवंटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त प्रार्थी का बदस्तुर चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त जैरवाद रकबा को काफी परिश्रम कर मेहनत से काबिल काश्त बनाया है। इसी से प्रार्थी ने परिवार का पालन पोषण किया है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने रकबा की आड़ में अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के साथ मिल कर प्रार्थी के खातेदारी रकबा पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सीमाज्ञान के बावजुद अप्रार्थीगण, प्रार्थी का रकबा अपना बता रहें हैं। प्रार्थी के खातेदारी रकबा पर अप्रार्थीगण का कोई अधिकार नही है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का बनता है। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना उपस्थित नही आयें है। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.09.2024 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी के नाम तहसील सूरतगढ़ रोही बछरारा की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या नया 240 पुराना 201 के खसरा संख्या 144/5.210 हैक्टर एवं 146/1.404 हैक्टर कुल 6.614 हैक्टर बारानी दोयम भूमि खातेदार अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इसी रोही के खाता संख्या नया 104 पुराना 103 के खसरा संख्या 142 की 8.751 हैक्टर व 158 की 10.332 हैक्टर कुल 19.083 हैक्टर बारानी दोयम भूमि अंकित रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का रकबा अलग–अलग खसरों में स्थित है। प्रार्थी के रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 को जबरन दखलदांजी करने का कोई अधिकार नही है। मौका पर यदि सीमा का विवाद है तो तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार सीमाज्ञान प्रस्तुत कर सकते है। किन्तु खातेदार काश्तकार के रकबा पर जबरन दखलदांजी की जानी उचित नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के खातेदारी रकबा में ना तो स्वयं दखलदांजी करें एवं ना ही किसी अन्य से करवायें। उक्त स्थगन आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा सीमाज्ञान करवाने पर प्रभावी नही रहेगा। सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.28 17:10:16 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़